

~~करीब प्रथम अधिवेशन 10, 11, 12, 13
 को वाणिज्य ले गये पीए व नैतिक पक्ष
 कर। पक्ष तीन पक्षों में है। पत्रावली आपदा
 वाणिज्य इन्फार्म प्रवाह ले दिनांक
 10.1.18 को पेश हो।~~

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाना

10.1.18 पत्रावली पेश। करीब परिवाराप
 उपस्थित। अधिवेशन 14 से 23 की हो
 ले करीब अधिवेशन 1 से 23 तक
 ने पेश किया। आपदा ला 80 प्रथम ले
 के लेने के पत्रावली आपदा दिनांक 28.2.18
 को पेश हो।

28.2.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप-
 पत्रावली आपदा वाणिज्य प्रवाह हेतु दिनांक
 18-4-18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाना

18-4-18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण
 उप- पत्रावली आपदा वाणिज्य प्रवाह
 हेतु दिनांक 17-5-18 को पेश हो।

R.S. Mali

17-5-18
Kailash
 पत्रावली न्याय आपके डार सिविल अरल
 सेवा केन्द्र छोड़ो में प्रस्तुत हुई। वडी
 ने निवेदन किया है कि गाँव छोड़ोली
 पटवार इल्का छोड़ोली में मेरी और
 परिवारियों की संयुक्त खातेदारी की कृषि
 भूमियां स्थित हैं। और उक्त भूमियों से
 संबंधित बंटवारे का कांड क्षीमान न्यायालय
 में विचाराधीन है तथा इससे पूर्व उक्त

13
पेच
आपना

रि

न

19

रि

रि

18

रि

रि

रि

S. mali

रि

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>मनन किया गया। प्रथी शेकरलाल का जर्धनापत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा उभयपक्ष कारण- मूल वाड के विचाराधीन रहने तक ना तो वाडग्रस्त भूमि पर निर्माण करें न ही तारबंदी करें। इस आशय की आस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैंसल शुमार होकर मूल वाड के साथ संलग्न की जावे। आदेश सुले न्यायालय सुनाया गया। k</p>	